न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 04/2019/आवेदन 136 एलआर एक्ट

1. देवाराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट निवासी नोसा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 19.12.2019**

1. आवेदन का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 333, 338, 339 किता 3 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर तन ग्राम नोसाल पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिनके पुराने खसरा नम्बर 140 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा थे। उक्त भूमियों में सें प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों ने जरिये विक्रय पत्र हिस्सा 1/2 कय किया था। जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2033 सें 2036 की जमाबंदी चौसाला में नामांतकरण संख्या 172 द्वारा साबित है। राजस्व रिकॉर्ड संधारण कार्मिकों की भूल आदि सें राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2037 सें 2040 में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों का हिस्सा 1/2 में जाति का उल्लेख दर्ज नहीं किया गया एवं हिस्सा 1/2 प्रार्थना पत्र में वर्णित पुराने खसरा नम्बर 140 के शेष 1/2 हिस्से के खातेदारों के आगे जाति ब्राह्मण दर्ज है। उक्त त्रुटि आगामी संवत 2042 से 2045 एवं नवीन में भी बदस्तूर जारी है। सैटलमेन्ट के पश्चात नवीन जमाबंदी आधा वर्ष 2051 की जमाबंदी में भी प्रार्थी व अन्य खातेदारों का राजस्व रिकॉर्ड देवाराम, बाघाराम पिता हीराराम, टोडाराम, रूपाराम पिता चोखाराम हिस्सा 1/2 बराबर सही दर्ज है परन्तु संहवन सें जाति जाट का अंकन दर्ज नहीं है। आगामी नवीन जमाबंदी संवत् 2053 सें 2056 में गलत रूप सें प्रार्थी के पिता का राजस्व रिकॉर्ड निम्नानुसार कर दिया " देवाराम, बाघाराम, हीराराम, टोडाराम, रूपाराम पुत्रगण चोखाराम हिस्सा 1/2 बराबर" उक्त त्रुटि सें प्रार्थी के पिताजी को प्रार्थी का भाई बना दिया तथा अन्य सहखातेदारो के पिता को प्रार्थी का पिता गलत रूप सें कर दिया जो त्रुटि वर्तमान में भी बदस्तूर जारी है। मृतक के भाई बाघाराम की मृत्यु हो चुकी है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

एवं प्रार्थी एवं उक्त मृतक के समान हित होने के कारण मृतक भाई के वारिशान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त वर्णित त्रुटियों को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड निम्नानुसार किया जाना उचित है– '' देवाराम, बाघाराम पिता हीराराम, टोडाराम, रूपाराम पिता चोखाराम हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर जाति जाट अन्य हिस्सा 1/2 बदस्तूर जमाबंदी।'' अंत में आवेदन पेश कर यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार कर आवेदन वर्णित भूमियों खसरा नम्बर 333, 338, 339 किता 3 कुल रकबा 1.16 हैक्टर तन ग्राम नोसाल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में देवाराम, बाघाराम पिता हीराराम व टोडाराम, रूपाराम पिता चोखाराम हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर जाति जाट अन्य हिस्सा 1/2 बदस्तूर जमाबंदी किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि भूमियों खसरा नम्बर 333, 338, 339 किता 3 कुल रकबा 1.16 हैक्टर तन ग्राम नोसाल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में देवाराम, बाघाराम पिता हीराराम व टोडाराम, रूपाराम पिता चोखाराम हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर जाति जाट अन्य हिस्सा 1/2 बदस्तूर जमाबंदी किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि ''जमाबंदी संवत 2051 मे प्रार्थीगण की खातेदारी देवाराम बाघाराम पि0 हीराराम टोडाराम रूपाराम पि0 चोखाराम हि0 1/2 दर्ज है आगामी जमाबंदी संवत 2053 से 2056 में खातेदारी देवाराम बाघाराम हीराराम टोडाराम रूपाराम पि0 चोखाराम हि0 1/2 दर्ज हो गया। इस प्रकार बिना नवीन अंकन के ही हीराराम के नाम संहवन से खातेदारी दर्ज हो गई। अतः खातेदारी में देवाराम बाघाराम पिता हीराराम टोडाराम रूपाराम पिता चोखाराम जाति जाट हि0 1/2 किया जाना उचित है।'' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नोसाल पटवार हल्का कांकरा तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 333, 338, 339 किता 3 कुल रकबा 1.16 हैक्टर में देवाराम बाघाराम हीराराम टोडाराम रूपाराम पि0 चोखाराम के**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

क्रमशः

स्थान पर देवाराम बाघाराम पि0 हीराराम, टोडाराम रूपाराम पि0 चोखाराम जाति जाट हिस्सा 1/2 सा0देह खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner